उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

11 जुलाई, 2024 ई0

संख्या 417/XVIII(3)/2024-3(01)2024—राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मू—राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की घारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों के माग∕क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अमिलेख संक्रियाओं के अधीन होंगे:—

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम		खसरा नम्बर	कुल भूमि (है0 में)
पौडी	कोटद्वार	भावर	1	काशीरामपुर	420	1.210 है0
गढवाल			2	नाथुपुर	01	1.110 है0

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.417/ XVIII(3)/2024-3(01)2024 dated: July 11, 2024 for general information.

NOTIFICATION

July 11, 2024

No.417/XVIII(3)/2024-3(01)2024--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P.Act.No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the parts/area of the villages mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette:-

Schedule

District	Tehsil	Pargana	I	Name of Village	Khasra No.	Total Land (In hac)
Pauri Garhwal	Kotdwar	Bhavar	1	Kashirampur	420	1.210 ha
			2	Nathupur	01	1.110 ha

By Order,

RAMESH KUMAR SUDHANSHU,

Principal Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 27—07—2024, भाग 1 में प्रकाशित। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित——] गी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 राजस्त / 361—16—08—2024—50 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)